न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

—— xx —— xx ——

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : वाद 114/2020 (2020/00288)

<u>अन्तवान</u>

1- जोधराज धाकड पिता श्री रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड निवासी पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- काली पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका
3- नानी पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका
4- देऊ पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका
5- रामकन्या पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका
6- नाराबी पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका

— वादीगण

<u>बनाम</u>

1- रूपलाल उर्फ रूपा पिता श्री मोहनलाल धाकड निवासी पालका
मृतक के बजाय

1/1 मगनी बाई पत्नी स्व. रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड निवासी पालका
2- भेरूलाल पिता रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड निवासी पालका
3- रतनलाल पिता रूपलाल उर्फ रूपा धाकड निवासी पालका
4- बद्रीलाल पिता कनीराम धाकड निवासी पालका

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 88-188-209 आर.टी.ए.

उपस्थिति : (1) श्री सत्यनारायण गोस्वामी अधिवक्ता वादीगण
(2) श्री निलेश भटनागर अधिवक्ता प्रतिवादी 1/1

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23-08-2023

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-209 आर.टी.ए.

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का एक संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार राजस्व ग्राम पालका मे पिढी दर पिढी स्थायी रूप से निवासरत आ रहा है। वादीगण एवं उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि, अकृषि सम्पतियां भी संयुक्त स्वामित्व की मौजूद रही है जो उन्हे विरासत से प्राप्त हुई है। पक्षकारान पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :-

मोहनलाल धाकड
।
रूपलाल उर्फ रूपा धाकड
प्रति. सं. 1

भैरुलाल पुत्र प्रति. 02	रतनलाल पुत्र प्रति. 3	जोधराज पुत्र वादी 1	काली पुत्री वादी 2	नानी पुत्री वादी 3	हेऊ पुत्री प्रतिवादी सं. 4	रामकन्या पुत्री वादी 05	नाथी पुत्री वादी 6

उपरोक्त सजरा अनुसार वादीगण के पिता रूपलाल उर्फ रूपा की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि मे प्रत्येक वादीगण का 1/9 एवं 1/9 पैतृक हिस्सा निहित है। साबिक बन्दोबस्ती रेकार्ड के खाता संख्या 252 मे वादीगण के दादा मोहन पिता नन्दा धाकड का नाम दर्ज रेकार्ड रहा। जमाबन्दी सम्वत 2028 - 2031 पर दर्ज साबिक आ.नं. 243/1, 245, 257, 290, 301, 310, 683, 735, 739, 765, 766, कीता 11 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन सेटलमेन्ट आ.नं. 323, 327, 339, 380, 392, 401, 914, 914/1979, 915, 916, 957 958, 959, 959/1977 कीता 14 कुल रकबा 1.40 हे. व क्रेता साबिक आ.नं. 259 रकबा 17 बिस्वा एवं आ.नं. 260 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कीता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी सं. 04 के शामलाती चली आ रही है जिसके नवीन सेटलमेन्ट आ.नं. 341 रकबा 0.41 हे. कायम

वाद पत्र की चरण संख्या 03 मे उल्लेखित साबिक आराजीयात का नवीन भूप्रबन्धी इन्द्राज अनुसार ग्राम ~~[illegible]~~ पालका की कृषि आराजीयात कीता 14 रकबा

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

1.40 हे. बनती है, जिसमे वादीगण का ~~बा~~ प्रत्येक का 1/9 हक हिस्सा निहित है व अन्य ~~खाता~~ संख्या 470 से अंकित आराजी किता 1 रकबा 0.41 हे. मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा निहित है, जिसमे भी वादीगण का 1/9-1/9 हक हिस्सा निहित होकर प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वजों को भी विरासत से प्राप्त हुई यानि कि मूल पुरुष मोहनलाल को भी उनके पितामह से प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के जीवित ~~रहते~~ यानि पुत्र पुत्रीयों मौजूद होते हुए भी नुमाईशी दान पत्र के जरिए प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम अंकित कराने का आदेश पारित करवा लिया।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के वैध जायंदा वारिसान होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 एवं अनुसूचि मे प्रथम वरियता प्राप्त वारिस है, जिनका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ~~ही~~ ही वैध स्वरूप स्वत्वाधिकार पैतृक सम्पति मे बन जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ने पैतृक कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 02 व 03 के पक्ष मे दिनांक 27/11/2019 को दान पत्र तैयार करवा कर 28/11/2019 को पंजीयन करा दिनांक 16/01/2020 को उनका नामान्तकरण खुलवा दिया जबकि ~~प्रतिवादी~~ प्रतिवादी 02 व 03 का भी 1/9 वां हक हिस्सा ही बनता है। प्रतिवादी संख्या 01 ने 2/3 हिस्सा दान पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को अंतरित कर दिया है, जिसमे वादीगण अपने निहित वैधानिक हक के अनुसार पैतृक हिस्से मे से प्रत्येक का 1/9 के हिस्से तक खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी रहते है। प्रतिवादी नं. 01 अपने 1/9 हिस्से से अधिक का दान पत्र द्वारा हस्तान्तरण नही कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 संयुक्त खातेदारी की भूमि पर रेवेन्यू रेकार्ड की आड लेकर जबरन कब्जा करने की धमकी देने लगे है,

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

जबकि उनका रेकार्ड मे उल्लेखित हिस्से तक कब्जा नही है। प्रतिवादीगण ऊंचे दामो मे अजनबी व्यक्तियों को विक्रय आदि की धमकियां देने लगे है व किसी भी समय भूमि को रहन, बेह, बक्षीस कर सकते है। इसलिए घोषणा शून्य निष्प्रभावी व निषेधाज्ञा हेतु यह वाद पत्र पालने कार्यवाही पेश है। बिनाय दावा प्रतिवादी सं. 01 द्वारा नुमाईन्दगी दस्तावेज दिनांक 28/11/2019 की जानकारी वादीगण को दिनांक 30/6/2020 को पटवार हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने से हुई उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा मौके पर कब्जा सबन्धित विवाद करने से दिनांक 17/07/2020 को वाद कारण पैदा होना है जो निरन्तर जारी है। अन्त मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरुद्ध वाद पत्र मे वर्णित विधि विरुद्ध दान पत्र दिनांक 28/11/2019 को वाद पत्र मे वर्णित चरण संख्या 08 मे वर्णित कारणो से शून्य व निष्प्रभावी घोषित किए जावे, वाद पत्र की चरण संख्या 03 मे वर्णित ग्राम पालका की आराजीयात पैतृक पुश्तैनी होने से एवं वाद पत्र की चरण संख्या 05 मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण को भी संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के साथ सह कृषक दर्ज किए जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे तथा वाद पत्र मे उल्लेखित कृषि भूमि को प्रतिवादीगण रहन, बेह, बक्षीस इत्यादि न करे न करावे न वादीगण को उनके स्थापित कब्जे से बेदखल करे न करावे इस आशय की निषेधात्मक निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटीस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से दिनांक 22/3/2020 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए। प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत होकर स्वीकार होने पर मृतक प्रतिवादी संख्या 1 बजाय प्रतिवादी 1/1 की

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

ओर से अधिवक्ता निलेश अग्रवाल ने दिनांक 07/4/2022 को वकालतनामा प्रस्तुत किया जो दिनांक 24/8/2022 को रेकार्ड पर लिया गया। वादी जोधराज ने बयान शपथ पत्र PW1 प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल नामान्तकरण संख्या 430 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 प्रदर्श 2, मिलान खसरा नकल प्रदर्श 3 दान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी 2066-2069 खाता सं. 277 प्रदर्श 5 तथा नकल जमाबन्दी 2066-2069 खाता संख्या 470 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। अन्य गवाह कालू पिता भैरू धाकड निवासी पालका के बयान शपथ पत्र PW2, नारायणलाल पिता हेमराज धाकड नि० जयसिंहपुरा के बयान शपथ पत्र PW3 तथा भैरूलाल पिता हेमराज धाकड ने बयान शपथ पत्र PW4 प्रस्तुत किए। अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर लिखित बहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पुश्तैनी होने की पुष्टि नकल नामान्तरकरण प्रदर्श-1 एवं नकल जमाबन्दी प्रदर्श-2 से होती हैं, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक है एवं प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत से प्राप्त हुई इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 स्व. रूपलाल उर्फ रूपा पिता मोहनलाल धाकड को अपने नाम पर दर्ज वादग्रस्त आराजीयात मे से 2/3 हक हिस्से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पक्ष मे दानपत्र निष्पादित किए जाने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी होने से वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे पैदाइशी अधिकार है। वादीगण के हक व अधिकार के मुकाबले स्व. रूपलाल उर्फ रूपा द्वारा प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

संख्या 02 व 03 के पक्ष मे निष्पादित किया गया दानपत्र प्रभावहीन एवं शुन्य है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पालका के खाता संख्या 277 मे अंकित आराजी किता 14 रकबा 1.40 हे. तथा खाता संख्या 470 मे अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 0.41 हे. मे वादीगण 01 से 06 तक को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के साथ सहखातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को उनके स्थापित कब्जे से बेदखल न करें एवं न करावें।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.जोधराज धाकड पिता श्री रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड नि.पालका
2.काली पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका
3.नानी पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका
4.देऊ पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका
5.रामकन्या पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका
6.नाराणी पुत्री रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका

—वादीगण

बनाम

1.रूपलाल उर्फ रूपा पिता श्री मोहनलाल धाकड़ नि.पालका मतृक के बजाय
1/1 मगनी बाई पत्नी स्व. रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड नि.पालका
2.भैरूलाल पिता रूपलाल उर्फ रूपा जी धाकड नि.पालका
3.रतनलाल पिता रूपलाल उर्फ रूपा धाकड नि.पालका
4.बद्रीलाल पिता कनीराम धाकड नि.पालका

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 114/2020 (GCMS 2020/00288)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88—188—209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण गोस्वामी की, और प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से वकील श्री निलेश भटनागर की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पालका के खाता संख्या 277 मे अंकित आराजी किता 14 रकबा 1.40 हे. तथा खाता संख्या 470 मे अकित आराजी संख्या 341 रकबा 0.41 हे. मे वादीगण 01 से 06 तक को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के साथ सहखातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को स्थायी निषेद्याज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को उनके स्थापित कब्जे से बेदखल न करें एंव न करावें।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 23.08.23 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी